FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		खुशाल कुमार पुत्र तलसाराम,जाति–प्रजापत निवासी– रेबारीवास, मोरली, तह. शिवगंज (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) फर्मः महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, मोरली तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही

किस्म मुकदमा – **धारा 26(2)(ii) एवं 51**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 **प्रकरण संख्याः 09/2021**

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.1.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त खुशाल कुमार के विरुद्ध आज दिनांक 18.1.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी खुशाल कुमार पुत्र श्री तलसाराम, जाति– प्रजापत, निवासी– रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकता, फर्म महादेवं किराणा स्टोर, रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 18.1.2021 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी खुशाल कुमार को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी खुशाल कुमार ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 13.10.2020 को जिस खोया (मावा) का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। यह कि मैंने ... बनाया था वह गांव के पशुपालकों के दूध को ... के बनाया है। मैंनें मेरी और से इसमें कुछ भी नहीं ... है, यह मावा गाय के दूध से बनाया गया था ... स्वीकार करता हूँ, ... नहीं करुंगा। कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:17 IST
Reason: Self Attested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 09 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खोया (मावा) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 13.10.2020 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी प्रतिवादी खुशाल कुमार पुत्र तलसाराम, जाति– प्रजापत, निवासी– रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ खोया (मावा) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म महादेव किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ खोया (मावा) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ खोया लगभग 10 किलोग्राम में से एक किलोग्राम खोया को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) के नमूना संख्या S-1178 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./474/Act/2020/474 दिनांक 23.10.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया. है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी खुशाल कुमार द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य [illegible] अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.[illegible] के द्वारा प्रदत

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय रजिस्ट्रार
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 09 /2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी खुशाल कुमार पुत्र तलसाराम, जाति– प्रजापत, निवासी– रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी खुशाल कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.2.2021 को पेश हो।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

13/1/2021

(गितेश श्री मालवीया)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested